85/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

धारा 6–ए प्रकरण सं0 85/2016 सरकार बनाम 1–मैसर्स हरभजन सिंह सूदन उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करडवाली, रायसिंहनगर 2–पुरखाराम पुत्र जमनाराम जाति नायक निवासी वार्ड न0 11, रायसिंहनगर

14.02.2017

1– पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़ प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। अप्रार्थी हरभजनसिंह सूदन उचित मूल्य दुकानदार व पुरखाराम के अभिभाषक उपस्थित है। उभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Web Copy - Not Official

2– **विभागीय** प्रतिनिधि का कथन है कि दिनांक 21.08.2016 को थानाधिकारी मुकलावा से सूचना प्राप्त होने पर कि उनके द्वारा आयशर ट्रेक्टर न0 पी.बी. 04 जी 7702 मय ट्राली ग्रामीणो की शिकायत पर रोकी गयी है जिसमें जांच करने पर 14 गेहूं के कटटे भरे हुए एवं उनके मौके पर पहूंचते ही ट्रेक्टर ट्राली का चालक वहां से भाग गया एवं ट्रेक्टर ट्राली थाना में लाने पर श्री राकेश सोनी प्रवर्तन अधिकारी वास्ते जांच थाना मुकलावा पहुंचे। उनके द्वारा जांच करने पर ट्रेक्टर ट्राली में मशीन से सिलाई किये हुए 14 गेहूं के भरे हुए कटटे पाये गये। जिन में एफसीआई मार्का कुछ कटटों पर 2013–14 व कुछ पर 2014–15 का लगा हुआ है जो प्रथम दृष्टया पी.डी.एस. की होने से सुरक्षा की दृष्टि से जांच हेतु क्रय विक्रय सहकारी समिति रायसिंहनगर के पी.डी.एस. प्रभारी श्री बाबुलाल की सुपुर्दगी में दिये गये।

3– **उनका** आगे कथन था कि जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 07.09.16 को सुरेशकुमार प्रवर्तन निरीक्षक जांच के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति रायसिंहनगर के गोदाम में पहुंचे और गेहूं के कटटो का निरीक्षण किया तो इन पर एफसीआई मार्का एवं मशीन सिलाई के थे और पी.डी.एस. प्रभारी श्री बाबुलाल को साथ लेकर जांच हेतु ग्राम पंचायत करडवाली की उचित मूल्य दुकान मै0 हरभजन सिंह सूदन के यहां पहुचे तो वक्त जांच श्री रणजीत सिंह उपस्थित मिला, जिसने अपने आपको डीपो होल्डर हरभजनसिंह का साला बताया। जांच करने पर स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक बीपीएल का 01.08.2016 का प्रारम्भिक स्टॉक 50.00 क्विंटल, अन्त्योदय योजना का प्रारम्भिक स्टॉक 7.00 क्विन्टल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का 19.00 क्विन्टल था। माह अगस्त के आमद बीपीएल की निल, अन्त्योदय की निल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 28.00 क्वि0 गेहूं दर्ज पाई गई। इस प्रकार गेहूं का माह अगस्त में कुल स्टॉक 104 क्वि0 दर्ज पाया गया। वक्त निरीक्षण कुल 45.00 क्विंटल (बीपीएल, अन्त्योदय, एनएफएसए) गेहूं की दर्ज पाई गई। इस प्रकार गेहूं का शेष स्टॉक 59.00 क्विन्टल होना चाहिए था जबकि भोतिक सत्यापन करने पर 52.00 क्वि0 गेहूं पाया गया। इस प्रकार 7.00 क्विन्टल गेहूं कम पाया गया। इस संबंध में डीपो पर उपस्थित रणजीत सिंह द्वारा बताया कि 7 क्वि0 गेहू एफसीआई से खराब प्राप्त हुआ था जिस पर उसने के.वी.एस.एस. के पी.डी.एस. प्रभारी श्री बाबुलाल से बात करके बदलवाने के लिए रायसिंहनगर के के.वी.एस.एस. सोसायटी के गोदाम में ले जाया जा रहा था जो बीच में थाना मुकलावा की पुलिस द्वारा 11 टी.के. रोड पर श्री पुरखाराम के मकान के सामने पकड लिया गया।

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 85/2016

4— **उनका** आगे कथन था कि मौके पर ट्रेक्टर ट्राली मालिक श्री पुरखा राम ने उपस्थित होकर बयान दिया कि उसकी ट्रेक्टर ट्राली उसका भान्जा राजेन्द्र कुमार सरिया, बजरी ढोने के लिए कह कर ले गया था उसके बाद उसे बिना सूचना दिए आते वक्त करडवाली से गेहूं के कटटे लदे हुए पकडा गया। मौके पर राजेन्द्र को इस संबंध में पूछताछ के लिए बुलाने पर उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार गेहूं का अवैद्य परिवहन बिना किसी पूर्व सूचना के पाये जाने के कारण 14 कटटे गेहूं के भरे हुए एवं ट्रेक्टर ट्राली वजह सबूत जब्त किये जाकर श्री बाबूलाल पी.डी.एस. प्रभारी कय विकय सहकारी समिति रायसिंहनगर को दी गई। डीलर हरभजनसिंह सूदन द्वारा 14 कटटे गेहूं कुल 7.00 क्विन्टल कालाबाजारी में बेचने हेतू परिवहन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(3) तथा राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के मूल क्लॉज 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र शर्त संख्या 5, 14 एवं 18 का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्त शुदा 14 कटटे गेहूं मय बारदाना एवं ट्रेक्टर ट्राली को राजसात किया जावे।

5— **अप्रार्थीगण** के अभिभाषक का कथन था कि अप्रार्थी हरभजन सिंह ग्राम पंचायत करडवाली की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकृत लाईसेन्सधारी है और अप्रार्थी पुरखाराम जब्त शुदा वाहन ट्रेक्टर न0 पी.बी. 04 जी 7702 मय ट्राली मय ट्राली का स्वामी है और अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कय विकय सहकारी समिति से वितरण के लिए गेहूं प्राप्त किया था जिसमें से 14 गेहूं कटटे गेहूं वर्ष 2013—14 व 2014—15 का था जो अवधि पार होने के कारण सडा हुआ और खराब हालत में था जिससे वितरित नही किया जा सकता था और इसकी जानकारी पी.डी.एस. प्रभारी को भी दे दी गयी थी और उनके द्वारा गेहूं के कटटो को परिवर्तन करवाने हेतु रणजीतसिंह जो कि अप्रार्थी हरभजनसिंह का साला है, उसे वापिस करवाने के लिए कहा हुआ था जो उसके द्वारा बदलवाने के लिए पी.डी.एस. प्रभारी श्री बाबुलाल को भिजवाया जा रहा था और उसके द्वारा ही गेहूं बदलवाने के लिये भेजने हेतु कहा गया था। इसलिए उक्त ट्रेक्टर ट्राली में बदलवाने के लिए भिजवाया जा रहा था जिसे सन्देह के आधार पर गलत रूप से वाहन से जब्त किया गया है।

6— **उनका** आगे कथन था कि उक्त गेहूं के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत अनुज्ञापत्रधारक के विरूद्ध नही की गयी है और न ही अनुज्ञापत्रधारक हरभजन द्वारा और न ही वाहन स्वामी/चालक द्वारा किसी प्रकार का कोई अवज्ञा की गयी है। उनका यह भी कथन था कि अप्रार्थी अनुज्ञापत्र धारक का अभिलेख जांच करन पर स्टॉक सही पाया गया। केवल 7 क्विन्टल गेहूं कम पाया गया जो कि खराब होने के कारण बदलवाने के लिए ले जाया जा रहा था। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

7— **मैने** उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया और अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थी मै0 हरभजन सिंह सूदन उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करडवाली का है और दिनांक 21.08.2016 को थानाधिकारी मुकलावा से सूचना प्राप्त होने पर कि उनके द्वारा आयशर ट्रेक्टर न0 पी.बी. 04 जी 7702 मय ट्राली ग्रामीणो की शिकायत पर रोकी गयी है जसमें जांच

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
85/2016
A4
3

करने पर 14 गेहूं के कटटे भरे हुए एवं उनके मौके पर पहूंचते ही ट्रेक्टर ट्राली का चालक वहां से भाग गया एवं ट्रेक्टर ट्राली थाना में लाने पर श्री राकेश सोनी प्रवर्तन अधिकारी वास्ते जांच थाना मुकलावा पहुंचे। उनके द्वारा जांच करने पर ट्रेक्टर ट्राली में मशीन से सिलाई किये हुए 14 गेहूं के भरे हुए कटटे पाये गये। जिन में एफसीआई मार्का कुछ कटटों पर 2013–14 व कुछ पर 2014–15 का लगा हुआ है जो प्रथम दृष्टया पी.डी.एस. के होने से सुरक्षा की दृष्टि से जांच हेतु क्रय विक्रय सहकारी समिति रायसिंहनगर के पी.डी.एस. प्रभारी श्री बाबुलाल की सुपुर्दगी में दिये गये। जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 07.09.16 को सुरेशकुमार प्रवर्तन निरीक्षक जांच के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति रायसिंहनगर के गोदाम में पहुंचे और गेहूं के कटटो का निरीक्षण किया तो इन पर एफ.सी.आई. मार्का एवं मशीन सिलाई के थे और पी.डी.एस. प्रभारी श्री बाबुलाल को साथ लेकर जांच हेतु ग्राम पंचायत करडवाली की उचित मूल्य दुकान मै0 हरभजन सिंह सूदन के यहां पहुचे तो वक्त जांच श्री रणजीत सिंह उपस्थित मिला, जिसने अपने आपको डीपो होल्डर हरभजनसिंह का साला बताया। जांच करने पर स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक बीपीएल का 01.08.2016 का प्रारम्भिक स्टॉक 50.00 क्विंटल, अन्त्योदय योजना का प्रारम्भिक स्टॉक 7.00 क्विन्टल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का 19.00 क्विन्टल था। माह अगस्त के आमद बीपीएल की निल, अन्त्योदय की निल एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 28.00 क्वि0 गेहूं दर्ज पाई गई। इस प्रकार गेहूं का माह अगस्त में कुल स्टॉक 104 क्वि0 दर्ज पाया गया। वक्त निरीक्षण कुल 45.00 क्विंटल (बीपीएल, अन्त्योदय, एनएफएसए) गेहूं की दर्ज पाई गई। इस प्रकार गेहूं का शेष स्टॉक 59.00 क्विन्टल होना चाहिए था जबकि भोतिक सत्यापन करने पर 52.00 क्वि0 गेहूं पाया गया। इस प्रकार 7.00 क्विन्टल गेहूं कम पाया गया। इस संबंध में डीपो पर उपस्थित रणजीत सिंह द्वारा बताया कि 7 क्वि0 गेहू एफसीआई से खराब प्राप्त हुआ था जिस पर उसने के.वी.एस.एस. के पी.डी.एस. प्रभारी श्री बाबुलाल से बात करके बदलवाने के लिए रायसिंहनगर के के.वी.एस.एस. सोसायटी के गोदाम में ले जाया जा रहा था जो बीच में थाना मुकलावा की पुलिस द्वारा 11 टी.के. रोड पर श्री पुरखाराम के मकान के सामने पकड लिया गया। मौके पर ट्रेक्टर ट्राली मालिक श्री पुरखा राम ने उपस्थित होकर बयान दिया कि उसकी ट्रेक्टर ट्राली उसका भान्जा राजेन्द्र कुमार सरिया, बजरी ढोने के लिए कह कर ले गया था उसके बाद उसे बिना सूचना दिए आते वक्त करडवाली से गेहूं के कटटे लदे हुए पकडा गया। मौके पर राजेन्द्र को इस संबंध में पूछताछ के लिए बुलाने पर उपस्थित नही हुआ। इस प्रकार गेहूं का अवैद्य परिवहन बिना किसी पूर्व सूचना के पाये जाने के कारण 14 कटटे गेहूं के भरे हुए एवं ट्रेक्टर ट्राली वजह सबूत जब्त किये जाकर श्री बाबूलाल पी.डी.एस. प्रभारी क्रय विक्रय सहकारी समिति रायसिंहनगर को दी गई। **डीलर हरभजनसिंह सूदन द्वारा 14 कटटे गेहूं कुल 7.00 क्विन्टल कालाबाजारी में बेचने हेतू परिवहन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(3) तथा राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के मूल क्लॉज 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र शर्त संख्या 5, 14 एवं 18 का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्त शुदा 14 कटटे गेहूं मय बारदाना एवं ट्रेक्टर ट्राली को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात किये जाने की प्रार्थना की गयी है।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर 85/2016

8— **आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा** 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि उनके द्वारा उचित मूल्य दुकान करडवाला के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाला गेहूं का किसी प्रकार से अनुचित लाभ के लिए **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(3) तथा राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के मूल क्लॉज 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र शर्त संख्या 5, 14 एवं 18** की उल्लंघना नही की है और न ही उसके द्धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत बने किसी भी आदेश की अवहेलना की है।

आवश्क वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

9— **चूंकि अप्रार्थी हरभजन सिंह** सूदन जो कि मैसर्स हरभजन सिंह सूदन उचित मूल्य ग्राम पंचायत करडवाली का दुकानदार है और उसके पास ग्राम पंचायत करडवाली की उचित मूल्य की दुकान का राज0 खाद्यान एवं आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र जारी शुदा है जिसकी शर्त सं0 1, 5, 14 व 18 निम्न प्रकार से हैः—

> (1) No authorisation holder shall store Foodgrains & other essential articles at any place other than those secified in this authorisation without prior permission in writing of the Collector.
>
> (5) The authorisation holder shall maintain a stock register in Form "C" Showing Correctly, the daily receipt and sale of the each Foodgrains and other essential articles. A daily sale register shall also be mainteined in Form 'D' by the authorised wholesaler and in Form 'E' by the aothorised fair price shopkeeper. All books of accounts, permits, coucher etc. shall be kept at the business premises specified in the authoristaion and shall be made available for inspection whenever required.
>
> (14) The authorised fair price shopkeeper shall sell Foodgrains and other essential articles supplied by the Government from time to time, directly to those consumers only whose ration cards are registered at his shop in unit register (Form 'G') and to the persons holding special permits issued by the Collector.
>
> (18) No Authorisation Holder shall contravene the provisions regarding duties and responsibilities of the fair price shop owner privided in Public Distribution System (Control) Order, 2001.
>
> It shall include the duty to submit in Form 'A' annexed to the said order, about functioning of the Fair Price Shop, so as to reach the District Supply Officer concerned, by the 7th of each month]

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 85/2016

10– **सार्वजनिक** वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2015 का खण्ड 11(3) निम्नानुसार हैः–

> 11. मानीटरी–
>
> (3) कोई प्राधिकारी उसके द्वारा इस निमित कोई व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जो लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नो के वितरण और हैडलिंग में लगा हुआ है, राशन कार्ड धारको को परिदान तक स्ऑक को बदलने या उसमें मिलावट करने या **उसका कहीं और अपयोजन करने या किसी प्रक्रम पर उसकी चोरी करने में नही लगेगा।**
>
> **स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनो के लिए–**
>
> (i) **'अपयोजन'** से गोदाम से जारी किये गये खाद्यान्नो का अप्राधिकृत संचालन या परिदान किन्तु जो आशयित फाददाग्राही को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नही पहुंच रहे है, अभिप्रेत है।
>
> (ii) **"बदलना"** से गोदाम से जारी किये गये खाद्यान्नो को घटिया क्वालिटी वैसे ही मदों से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आशयित फायदाग्राहियों को वितरण के लिये बदलना अभिप्रेत है।

11– **इस मामले** में जब्त शुदा 7 क्वि. गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है और अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार करड़वाली दुकान का अनुज्ञापत्रधारक है। उक्त दुकान का दिनांक 07.09.2016 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दुकान का जांच करने पर उक्त दुकान पर श्री रणजीत सिंह उपस्थित मिला, जिसने अपने आपको उचित मूल्य दुकानदान अनुज्ञापत्रधारक हरभजनसिंह सूदन का साला बताया। श्री रणजीत सिंह व श्री बाबुलाल प्रभारी पी.डी.एस. की उपस्थिति में दुकान में उपलब्ध स्टॉक का भोतिक सत्यापन करने पर बीपीएल, अन्त्योदय, एनएफएसए का गेहूं का स्टॉक 59.00 क्विन्टल होना चाहिये था जो कि जांच में 52.00 क्विन्टल गेहूं पाया गया। इस प्रकार मौका पर 7 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त 7 क्विन्टल गेहूं पुराना व खराब होने के कारण बदलवाने के लिए रायसिंहनगर ले जाया जा रहा था। इसलिए उनके द्वारा किसी प्रकार से उक्त आदेशो **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(3) तथा राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के मूल क्लॉज 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र शर्त** की अवहेलना नही की गई है। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

पत्रावली में उपलब्ध **प्रथम फर्द मौका दिनांक 21.08.16** जिसमें श्री राकेश सोनी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से अंकित किया गया हैः–

> **<u>फर्द मौका</u>**
>
> **"आज दिनांक 21.08.16** को श्रीमान जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा मोबाईल पर निर्देश दिये गये कि मुकलावा थाना पुलिस द्वारा एक ट्रेक्टर ट्राली में गेहूं पकड़ी गई है जो पी.डी.एस. की होने की संभावना है की जाच करें। इस पर मैं राकेश सोनी प्रवर्तन अधिकारी पुलिस थाना मुकलावा में दोपहर 2 बजे पहूंचा। **मौके पर थाने में ए.एस.आई. श्री भूराराम पुत्र श्री चन्दनराम उपस्थित है। श्री भूराराम ने पूछने पर बताया कि उन्हें इतला मिली थी कि करड़वाली से राशन का गेहूं ब्लेक में बेचे जाने के लिए ले जाया जा रहा है, मेरे द्वारा**

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

तस्दीक करने हेतू 4.56 ए.एम. पर पुलीस वाहन से करड़वाली के लिए प्रस्थन किया गया। 36000हैड पर मुझे सुत्र मिलें। उनकी बताई सूचना पर ट्राली के टायरो के निशान के आधार पर रायसिंहनगर की ओर पीछा किया गया। गांव 11 टी.के. में **पुरखाराम के घर के सामने गली में ट्रेक्टर समेत ट्राली खड़ा पाया। इस ट्रेक्टर ट्राली में 14 कटटे एफ. सी.आई. मार्का गेहूं के मशीन सिलाई वाले पाये गये। इस पर हम लोक इस ट्रेक्टर ट्राली को थाने लेकर आ गये तथा उचित माध्यम से जिला रसद अधिकारी को सूचित करवा दिया गया।"**

उक्त फर्द मौका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ए.एस.आई श्री भूराराम ने उक्त तथ्यो की जांच के लिए 4.56 ए.एम. पर पुलिस वाहन से करड़वाली के लिए प्रस्थान किया और सुत्रो से मिली सूचना के आधार पर गांव 11 टी.के. में पुरखाराम के घर के सामने उक्त ट्रेक्टर ट्राली खड़े पाये गये थे और वाहन चालक व मालिक उपस्थित नही मिले। इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्द जब्ती के अनुसार जब्त वाहन ट्रेक्टर ट्राली संख्या पीबी 04 जी 7702 का मालिक पुरखाराम है और उसके घर के सामने से ही उसके उक्त वाहन से पी.डी.एस. का 7 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया है।

अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 1 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक कलक्टर की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्राधिकार में विनिष्टि स्थानो के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण नही करेगा। इस प्रकार इस शर्त के अनुसार अप्रार्थी **बिना जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति** के अपने अनुज्ञापत्र में अंकित दुकान **करड़वाली से भिन्न किसी स्थान पर नही ले** जा सकता था। इस प्रकार अप्रार्थी दुकानदार श्री हरभजन सिंह सूदन को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को श्री पुरखाराम के वाहन में उसके घर गांव **11 टी.के.** में उक्त 7 क्वि. सार्वजनिक प्रणाली गेहूं को ले जाने/रखने के लिए कोई कानूनी अधिकार नही था। **उनके द्वारा इस संबंध में कोई भी ऐसा अधिकार पत्र पेश नही किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा जिला कलक्टर या किसी अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की हो।** इस प्रकार **जिला कलक्टर की बिना पूर्व अनुमति** के अनुज्ञापत्र धारक श्री हरभजनसिंह द्वारा कालाबाजारी के उदेश्य से बेचने के लिए श्री पुरखाराम वाहन मालिक के वाहन में उक्त गेहूं ले जाया जाना स्पष्ट होता है जो कि **अनुज्ञापत्र की शर्त सं0 1 की स्पष्ट अवहेलना है।**

चूंकि अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार की दुकान का 07.09.16 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर एवं भोतिक सत्यापन करने पर बीपीएल, अन्त्योदय व एनएफएसए का 59 क्वि. गेहू होना चाहिए था जिसकी जांच करने पर 52 क्विन्टल गेहूं पाया गया। इस प्रकार 7 क्विंटल गेहू कम पाया गया, जो गांव 11 टीके में श्री पुरखाराम वाहन मालिक के घर के सामने उसके ट्रैक्टर ट्राली में पकड़ा गया है। इस प्रकार **उचित मूल्य की दुकान में 7 क्वि. गेहूं कम पाया जाना शर्त संख्या 5 की अवहेलना है** और उक्त गेहूं संबंधित राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओ को **वितरण न कर शर्त सं0 14 का उल्लंघन** किया है। **अप्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त 7 क्विं. गेहूं जो कि उचित मूल्य दुकान करडवाली के राशन कार्ड उपभोक्ताओ के लिए था, को उक्त दुकान से जिला कलक्टर की बिना अनुमति के उठाव कर कालाबाजारी के उदेश्य से ले जाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11 के प्रावधानो की भी स्पष्ट अवहेलना है। अगर**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
85/2016

अप्रार्थी दुकानदार के कथनानुसार कि उसे प्राप्त शुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं खराब हालत में मिला है तो भी उसे संबंधित जिला रसद अधिकारी/जिला कलक्टर को सूचना देनी चाहिए थी कि उसे गेहूं पुराना व खराब हालत में मिला है और जिसे बदलवाने की अनुमति दी जावे, जो उसके द्वारा नही ली गयी है। **इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम फर्द जब्ती रिपोर्ट दि0 21.0816 जिसमें ए.एस.आई श्री मूराराम का जांच करने का उल्लेख है के अनुसार सूर्योदय से पूर्व (प्रातः 4.56 ए.एम. पर) उक्त उचित मूल्य दुकानदार के उक्त अनुचित कृत्य में उक्त वाहन स्वामी श्री पुरखाराम ने भी अपने वाहन का उपयोग कर उसका साथ दिया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2015 के खण्ड 11(3) तथा राज0 खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 6 एवं जारी प्राधिकार प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1, 5, 14 व 18 की स्पष्ट अवहेलना की है।** इसलिए अप्रार्थी का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जब्त शुदा 7 क्विन्टल गेहूं व श्री पुरखाराम का ट्रेक्टर ट्राली संख्या पीबी 04 जी 7702 धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने योग्य है।

13– **अतः उपरोक्त** विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण से जब्त शुद्धा उक्त 7 क्विन्टल गेहूं एव वाहन ट्रेक्टर ट्राली संख्या पीबी 04 जी 7702 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत **राजसात** करने के आदेश दिये जाते है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे में पारित निर्णय दिनांक 6–2–2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज में जब्ती की दिनांक को वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है।** चूंकि विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन दिनांक 19.12.16 में जब्त शुद्धा उक्त ट्रेक्टर ट्राली का मूल्य 90,000रूपये बताया गया है। इसलिए **राजसात** किये गये उक्त ट्रेक्टर ट्राली की एवज में 70,000**रूपये (अखरे सतर हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है।** यह जुर्माना राशि राजसात किये गये उक्त गेहूं की कीमत के **अतिरिक्त** है।

14– **जिला रसद** अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि यदि वाहन स्वामी श्री पुरखाराम उक्त जुर्माना राशि जमा करवा देवे तो नियमानुसार उक्त वाहन उसे दे दिया जावे। यदि वाहन स्वामी द्वारा उक्त जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो उक्त वाहन ट्रेक्टर ट्राली को नियमानुसार निलाम कर प्राप्त राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवाई जावे। जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर उक्त राजसात किये गये गेहूं मय वारदाना की विक्रय राशि को भी राजकोष में स्थाई रूप से जमा करवावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा0/-
(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर